छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
//संशोधित आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 05.01.2018

क्रमांक 43/ एफ 2017–04–03861 :: वित्त विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14.08.2017 के सरल क्रमांक 10 में श्री रूपेन्द्र कुमार साहू, सहायक ग्रेड–3 का स्थानांतरण इंद्रावती कोषालय, नया रायपुर से जिला कोषालय, सुकमा प्रशासनिक आधार पर किया गया था। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर श्री साहू द्वारा स्थानांतरण निरस्त/संशोधन करने के संबंध में गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।

2. वरिष्ठ सचिवों की समिति की अनुशंसा दिनांक 07.11.2017 की कंडिका–4 में समिति की अनुशंसा निम्नानुसार हैः–

> "समिति द्वारा अभ्यावेदन में उल्लिखित जानकारी के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया है। श्री साहू का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है। इस स्थानांतरण से आवेदक की वरिष्ठता एवं पदोन्नति दोनों प्रभावित होगी। अतएव समिति अभ्यावेदन मान्य करने की अनुशंसा करती है।"

3. उपरोक्त कंडिका–2 के परिप्रेक्ष्य में, श्री रूपेन्द्र कुमार साहू, सहायक ग्रेड–3 का, इंद्रावती कोषालय, नया रायपुर से प्रशासनिक आधार पर जिला कोषालय, सुकमा में किए गए स्थानांतरण आदेश को राज्य शासन एतद्द्वारा निरस्त करता है।

4. शेष आदेश यथावत् बने रहेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

5/1

(शारदा वर्मा)
संयुक्त सचिव

पृ.क्रमांक 44/एफ 2017–04–03861/स्था/चार   नया रायपुर, दिनांक 5/01/2018

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य मंत्री सचिवालय/वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
3. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, मंत्रालय की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ
4. महालेखाकार छत्तीसगढ़, रायपुर
5. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
6. कलेक्टर, सुकमा/रायपुर
7. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, जगदलपुर/रायपुर
8. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, इंद्रावती कोषालय, नया रायपुर/कोषालय अधिकारी, सुकमा/रायपुर, छत्तीसगढ़
9. आर्डर बुक

Programmer ______ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

6/1

संयुक्त सचिव